(18)

अंक संख्या–092

पंजीकृत संख्या–डी0एन0/आर0ओ0–181/2001

(लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 24 अगस्त, 2001 ई0

भाद्रपद 02, 1923 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग

(पंचायत एवं स्थानीय निकाय)

उत्तरांचल

संख्या 147/रा0नि0आ0/निर्वा0 (68)/2001

देहरादून, 24 अगस्त, 2001

आदेश

भारत का संविधान के 74वें संशोधन और उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन (संशोधन) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उत्तरांचल को राज्य के नागर निकायों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्यविहित किया गया है। इन निर्वाचनों के स्वतन्त्र, निष्पक्ष व कुशल संचालन के लिए यह आवश्यक हो गया है कि राजनीतिक दलों, संघों व निकायों का पंजीकरण किया जाये तथा पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव–चिन्ह के आवंटन, आरक्षण और स्पेसिफिकेशन के संबंध में निर्देश जारी किये जायें।

2–अतः संविधान के अनुच्छेद 243–ट तथा अनुच्छेद 243–यक और उनके तहत बने अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल एतद्द्वारा आदेश देता है कि :–

(1) यह आदेश राजनीतिक दलों के पंजीकरण एवं निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 2001 कहे जायेंगे।

(2) यह आदेश सम्पूर्ण उत्तरांचल के नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में लागू होंगे।

(3) यह आदेश शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होंगे।

3–राजनीतिक दलों/संघों/निकायों के पंजीकरण के लिए यह आवश्यक होगा कि :–

(क) जो राजनीतिक दल/संघ/निकाय (एतद्पश्चात् वे इकाइयां दल कहे जायेंगे) अपना पंजीकरण कराना चाहें उन्हें इस आदेश के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल

के समक्ष अपना पंजीकरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। भविष्य में होने वाले किसी भी निर्वाचन में दल के रूप में भाग लेने के लिए यह आवश्यक होगा कि पंजीकरण हेतु दल का आवेदन–पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को आगामी निर्वाचन की अधिसूचना के दिनांक से कम से कम 45 दिन पूर्व प्रस्तुत किया गया हो अन्यथा उस आवेदन–पत्र पर प्रश्नगत निर्वाचन के उपरान्त ही विचार करना सम्भव होगा।

(ख) यदि आवेदक राजनीतिक दल है तो आवेदन–पत्र उसके अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा आवेदन–पत्र राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल को आवेदक द्वारा स्वयं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक संघ अथवा निकाय है तो आवेदन–पत्र उस संघ या निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव या अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा जिसे वह स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल को प्रस्तुत करेगा।

4–ऐसे प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे :–

(क) राजनीतिक दल का नाम तथा रजिस्ट्रेशन संख्या, यदि कोई हो।

(ख) पत्र–व्यवहार हेतु पूरा पता।

(ग) राजनीतिक दल के अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के नाम व पते।

(घ) अपने सदस्यों की संख्या और यदि सदस्यों की श्रेणियां हों तो श्रेणीवार सदस्यों की संख्या।

(च) यदि इसकी कोई स्थानीय इकाई हो तो उसका नाम व पता आदि।

(छ) यदि राज्य के विधान मण्डल अथवा संसद में इसका प्रतिनिधित्व हो तो ऐसे सदस्य/सदस्यों की संख्या एवं नाम सहित विवरण।

(ज) नगर निकायों/पंचायतों के विगत सामान्य निर्वाचनों, विधान सभा अथवा लोक सभा के विगत आम चुनाव में दल द्वारा प्राप्त मतों के कुल वैध मतों का प्रतिशत मत प्रमाण सहित स्पष्ट किया जाये।

(झ) प्रस्तर–3 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन–पत्र के साथ अपने दल के संविधान, नियमों, उपनियमों एवं ज्ञाप की प्रतियां संलग्न की जायेंगी और ऐसे संविधान, नियम, उपनियम एवं ज्ञाप में इसका विशेष तौर पर उल्लेख होना चाहिये कि यह दल भारत का संविधानके प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है तथा दल भारत का संविधान में स्थापित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोकतन्त्र के सिद्धान्तों में पूर्ण आस्था रखता है और भारत की सम्प्रभुता, एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध होकर सदैव, कार्यरत रहेगा।

(ञ) आवेदन–पत्र के साथ दल के राजनीतिक सिद्धान्तों, जिनपर दल आधारित है, और अपने लक्ष्य, उद्देश्य तथा नीतियां, जिनका पालन दल द्वारा किया जाता है अथवा किया जाना है व अपने कार्य–कलाप तथा कार्यक्रम जो अपने राजनीतिक सिद्धान्तों, नीतियों, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चलाये जा रहे हैं या चलाये जाने हैं, का विस्तृत विवरण भी संलग्न किया जाये।

(ट) दल के मुख्य अंग/अंगों (चाहे वह जिस नाम से जाना जाता हो या वे जाने जाते हों) तथा उनके कार्य–कलाप और उसके/उनके अध्यक्ष का नाम (जिस किसी नाम से वह जाना जाता हो) तथा पदाधिकारियों/सदस्यों का विस्तृत विवरण।

(ठ) दल के लेखों के नियमित सम्प्रेक्षण का प्रमाण–पत्र भी आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाये।

(ड) आयोग सम्बन्धित दल से अन्य किसी भी प्रकार के विवरण, जिसे आवश्यक समझे, की मांग कर सकता है।

5–(क) उपर्युक्त सभी विवरण, जो आयोग को उपलब्ध कराये गये हों तथा अन्य सभी तथ्यों पर विचार करने और दल के प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् आयोग यह अभिनिश्चित करेगा कि दल को पंजीकृत किया जाये अथवा नहीं। आयोग अपने विनिश्चय से दल को यथा समय अवगत करायेगा।

(ख) पंजीकरण के लिए यह आवश्यक होगा कि दल द्वारा आन्तरिक संचालन और/अथवा बाह्य नियंत्रण हेतु बनाये गये नियम, उपनियम, उपबन्ध व ज्ञाप इस आदेश के प्रस्तर–4 के खण्ड (झ) के प्रावधानों के अनुरूप हों।

(ग) आयोग का निर्वाचन प्रतीक आवंटन पर विनिश्चय/निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपया होगा, जो डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उत्तरांचल, देहरादून को देय होगा।

6–राजनीतिक दल द्वारा राजनीतिक दल के रूप में उपरोक्तानुसार पंजीकरण के उपरान्त अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारियों उनके पते तथा अन्य महत्वपूर्ण विवरण व तथ्यों में परिवर्तन के बारे में आयोग को भी यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

7–प्रत्येक निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को इन आदेशों के अनुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में लड़ने वाले प्रत्याशियों को अलग–अलग निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

8–निर्वाचन प्रतीक दो प्रकार के होंगे :–

(क) <u>आरक्षित प्रतीक</u> :–आरक्षित प्रतीक किसी मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये प्रत्याशी को ही आवंटित किया जायेगा।

(ख) <u>मुक्त प्रतीक</u> :–ये वे प्रतीक हैं जो आरक्षित नहीं हैं और इन्हें अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, सामयिक पंजीकृत दल तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को आयोग के निर्देशानुसार आवंटित किये जायेंगे।

9–<u>राजनीतिक दलों का वर्गीकरण</u> :–इस आदेश तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए राजनीतिक दल तीन प्रकार के होंगे :–

(1) <u>मान्यता प्राप्त दल</u> :–ऐसे दल जिन्होंने उत्तरांचल के पंचायत अथवा नागर निकायों अथवा लोक सभा/विधान सभा के लिए सम्पन्न हुए विगत सामान्य निर्वाचन (प्रत्यक्ष मतदान) में पड़े वैध मतों की कुल संख्या के कम से कम पांच प्रतिशत मत प्राप्त किये हों, पंजीकरण के उपरान्त मान्यता हेतु अर्ह होंगे।

(2) <u>अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल</u> :–ऐसे दल जिन्होंने उत्तरांचल के पंचायतों/नागर निकायों अथवा लोक सभा/विधान सभा के विगत सामान्य निर्वाचन में विधिमान्य कुल मतों के कम से कम <u>एक प्रतिशत</u> मत प्राप्त किये हों, पंजीकरण उपरान्त अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के लिए अर्ह होंगे।

(3) <u>तात्कालिक या अनन्तिम रूप से सामयिक (प्रोविजनल) पंजीकृत दल</u> :–ऐसे दल जिन्हें पात्र पाये जाने पर (सामयिक) तौर पर पंजीकृत किया गया है।

10–दलों के पंजीकृत करने और/अथवा मान्यता जारी रखने हेतु आवश्यक शर्तें :–

(क) प्रतिबन्ध यह है कि प्रस्तर–9 (1) एवं 9 (2) के अन्तर्गत दल द्वारा प्राप्त वैध मतों की निर्धारित सीमा में परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसे दल का वर्गीकरण भी तद्नुसार परिवर्तनीय होगा परन्तु यह निर्णय आयोग द्वारा सम्बन्धित दल को स्पष्टीकरण का अवसर देकर लिया जायेगा। यदि निर्धारित सीमा के अन्दर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग में उपलब्ध अभिलेखों तथा प्राप्त सूचना के आधार पर निर्णय ले लिया जायेगा, जिसके आधार पर पत्रावली अभिलिखित होगी। दल के वर्गीकरण में यह पुनर्निर्धारण पांच वर्ष की अवधि से पूर्व न होगा।

(ख) दल द्वारा पंजीकरण आवेदन के साथ प्रस्तुत अपने दल के संविधान के सभी प्रावधानों का सामान्यतः और निर्वाचन सम्बन्धित विधान का विशेषतः अनुपालन यथा निर्धारित समय के अनुसार अवश्य किया गया हो अन्यथा आयोग द्वारा सम्बन्धित दल को स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए ऐसे दल का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

(ग) दल द्वारा अपने लेखों की वार्षिक सम्प्रेक्षा रिपोर्ट आयोग को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा पंजीकरण पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

(घ) दल द्वारा प्रति वर्ष आयकर विभाग से अदेयता प्रमाण–पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा न करने से सम्बन्धित दल की मान्यता/पंजीकरण रद्द करने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग का होगा।

11–मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन :–

(क) आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के आरक्षित प्रतीकों की सूची जारी की जायेगी।

(ख) राज्य के किसी भी नागर निकाय के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों द्वारा उस दल हेतु आरक्षित प्रतीक न कि कोई अन्य प्रतीक चुना जायेगा तथा वही उसे आवंटित किया जायेगा।

(ग) किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए आरक्षित प्रतीकों को किसी ऐसे प्रत्याशी को आवंटित नहीं किया जायेगा जो उस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा, जिसके लिए ऐसा प्रतीक आरक्षित किया गया है, खड़े किये गये प्रत्याशी से भिन्न हो, भले ही उस निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा कोई भी प्रत्याशी खड़ा न किया गया हो।

(घ) यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का उम्मीदवार किसी नागर निकाय निर्वाचन में उस दल के लिएं आरक्षित किये गये निर्वाचन प्रतीक का चयन करता है तो ऐसे प्रत्याशी को, किसी अन्य प्रत्याशी को छोड़ते हुए वह प्रतीक, न कि कोई अन्य प्रतीक, आवंटित किया जायेगा, अर्थात् उस दल ने अपने द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवार को वह प्रतीक अनन्य रूप से आवंटित करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित रूप–पत्र पर दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी को ऐसे निर्वाचन में उम्मीदवारी की तिथि के निर्धारित समय तक आवेदन दे दिया हो अन्यथा आरक्षित प्रतीक का आवंटन नहीं किया जायेगा।

(ङ) मान्यता प्राप्त दल को आवंटित निर्वाचन प्रतीक भविष्य में भी निर्वाचनों के लिए आरक्षित रहेंगे, जब तक वह दल विघटित अथवा विभाजित नहीं हो जाता है या उसकी मान्यता आयोग द्वारा समाप्त नहीं कर दी जाती। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के चिन्ह किसी निर्दलीय उम्मीदवार को आवंटित नहीं किये जायेंगे।

12–(क) अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के लिये प्रतीक आरक्षित नहीं किये जायेंगे परन्तु राज्य नागर निकाय चुनावों में भाग लेने के इच्छुक ऐसे दल यदि अनारक्षित प्रतीकों में से कोई प्रतीक चुनकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें राज्य भर में यह सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है। यदि ऐसे दो या दो से अधिक दल अनारक्षित प्रतीकों में से किसी एक विशेष प्रतीक के आवंटन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो उन दलों की वरीयता के क्रम का आधार उनके द्वारा विगत पंचायत/नागर निकाय/लोक सभा/विधान सभा के सामान्य निर्वाचन में राज्य स्तर पर प्राप्त वैध मतों का प्रतिशत ही होगा।

(ख) ऐसे दल द्वारा मांगा गया प्रतीक उस दल के उम्मीदवार को आवंटित किया जायेगा परन्तु उम्मीदवार को उस प्रतीक के आवंटन हेतु आवेदन उस दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवारी की तिथि के निर्धारित समय तक प्राप्त होना आवश्यक होगा अन्यथा प्रतीक अनारक्षित मान लिया जायेगा और यह प्रतीक अन्य उम्मीदवारों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवंटित किया जा सकता है।

13–अनन्तिम/तात्कालिक रूप से सामयिक पंजीकृत दल के उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटन की सुविधा :–

(क) तात्कालिक/अनन्तिम रूप से सामयिक पंजीकृत दल हेतु कोई प्रतीक आयोग द्वारा आरक्षित अथवा आवंटित नहीं किया जायेगा।

(ख) दल के अधिकृत उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त दल के लिये आरक्षित प्रतीक तथा अमान्यता

प्राप्त पंजीकृत दल के उम्मीदवार को आवंटित अनारक्षित प्रतीक को छोड़कर अन्य कोई प्रतीक जैसा कि ऐसे दल के उम्मीदवार ने चाहा है, आवंटित किया जा सकता है।

(ग) यदि दो या दो से अधिक ऐसे दलों द्वारा किसी निर्वाचन में एक ही प्रतीक की मांग की गयी है तो आवंटन के क्रम में उस दल को प्रतीक आवंटन में वरीयता दी जायेगी जो तात्कालिक अनन्तिम रूप से सामयिक पंजीकृत दल की सूची के क्रम में अंकित हो।

(घ) अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों तथा तात्कालिक अनन्तिम रूप से सामयिक पंजीकृत दलों को इस प्रस्तर के अन्तर्गत प्रदत्त निर्वाचन प्रतीक आवंटन की सुविधा भविष्य में होने वाले निर्वाचनों के लिए तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक उनका पंजीकरण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवैध घोषित नहीं कर दिया जाता है।

14—(क) निर्दलीय प्रत्याशियों को मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से उनके आवेदनों में दिये वरीयता क्रम के अनुसार प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

(ख) यदि निर्वाचन प्रतीकों को वरीयता क्रम में दो या दो से अधिक निर्दलीय प्रत्याशी प्रथम स्थान पर एक ही निर्वाचन प्रतीक दर्शाते हैं तो उनके बीच लाटरी की रीति से निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा। जिस प्रत्याशी के नाम की लाटरी खुले उसे ही वह निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

(ग) यदि निर्वाचन प्रतीकों की वरीयता क्रम में दो या दो से अधिक निर्दलीय प्रत्याशी द्वितीय अथवा आगे के स्थान के लिये एक ही निर्वाचन प्रतीक देते हों तो उनके बीच लाटरी की उपरोक्त खण्ड (ख) में वर्णित रीति से निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

15—किसी प्रत्याशी को निम्नलिखित शर्तों पर ही किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया माना जायेगा :

इन आदेशों के प्रयोजन के लिए कोई प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी और केवल तभी समझा जायेगा जब :—

(क) उस प्रत्याशी ने इस आशय की घोषणा अपने नाम—निर्देशन पत्र में कर दी हो।

(ख) इस आशय की लिखित सूचना सम्बन्धित दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उम्मीदवारी की निर्धारित तारीख एवं समय से पूर्व सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो।

(ग) उक्त सूचना दल के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षरित हो।

(घ) ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं उनके नमूने के हस्ताक्षर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी और सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को उम्मीदवारी की तारीख एवं समय तक निर्धारित रूप—पत्र/प्रपत्र में सूचित किये जायेंगे।

16—किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अन्य समूहों या प्रतिद्वन्दी गुटों के सम्बन्ध में आयोग की शर्तें :—

जब अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के ऐसे प्रतिद्वन्दी गुट अथवा समूह हैं जिनमें से हर एक वह दल होने का दावा करता है, तब आयोग इस मामले के समस्त उपलब्ध तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने तथा उन समूहों या गुटों के ऐसे प्रतिनिधियों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो सुनवाई चाहें, सुने जाने के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि ऐसे प्रतिद्वन्दी गुट या समूह में ऐसा कौन सा गुट अथवा समूह वह राजनीतिक दल है या कोई भी वह राजनीतिक दल नहीं है। आयोग का विनिश्चय ऐसे सभी प्रतिद्वन्दी गुटों अथवा समूहों पर बाध्यकारी होगा।

17—दो या अधिक राजनीतिक दलों का विलयन (मर्जर) हो जाने की दशा में आयोग की शक्ति :—

(क) जब दो या अधिक राजनीतिक दल, जिनमें से कोई एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हो

अथवा कुछ या सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनाने के लिए परस्पर मिल जाते हैं तब आयोग इस मामले के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करने तथा नये बने दल के ऐसे प्रतिनिधि व अन्य व्यक्तियों को जो सुनवाई चाहें, सुनने के पश्चात् तथा इन आदेशों के प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए यह विनिश्चय कर सकेगा कि :–

(1) ऐसा नया बना दल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होना चाहिए।
(2) उसे कौन सा प्रतीक आवंटित किया जाये।
(3) उप प्रस्तर–1 के अधीन किया गया आयोग का विनिश्चय उस नये बने राजनीतिक दल तथा उसकी सभी घटक इकाइयों के लिए बाध्यकारी होगा।

18–राजनीतिक दल तथा प्रतीक की सूचियों को अन्तर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना :–

(1) राज्य निर्वाचन आयोग एक या अधिक अधिसूचना के द्वारा उत्तरांचल के सरकारी राजपत्र में :–

(क) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तथा उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीकों, तथा
(ख) गैर–मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों आदि के लिए मुक्त प्रतीकों को आवंटित करने हेतु निर्देश प्रकाशित करेगा।
(ग) ऐसी हर एक सूची यथा सम्भव अद्यतन रखी जायेगी।

19–अनुदेश प्रवृत्त करने की आयोग की शक्तियां :–

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल :–

(क) इन आदेशों के उपबन्धों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए;
(ख) ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो किन्हीं ऐसे उपबन्धों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक हों, तथा
(ग) राजनीतिक दलों के पंजीकरण तथा प्रतीकों के आरक्षण व आवंटन के किसी मामले में तथा राजनीतिक दलों की मान्यता के संबंध में, जिसके लिए इन आदेशों में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है तथा जिसके लिए निर्वाचन के निर्विघ्न तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निर्देश प्रवृत्त कर सकेगा।

दुर्गेश जोशी,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 5 निर्वाचन/436–2001–500 (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

क्रम संख्या–106

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 जुलाई, 2006 ई0

श्रावण 05, 1928 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या 343/रा0नि0आ0अनु0–2/68/2003
देहरादून, 27 जुलाई, 2006

आदेश

भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–यक और उनके तहत बने अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल, एतद्द्वारा, राजनीतिक दलों के पंजीकरण एवं निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 2001 संख्या 147/रा0नि0आ0/निर्वा0(68)/2001, दिनांक 24 अगस्त, 2001 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता है :–

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :–

(1) यह आदेश "राजनीतिक दलों के पंजीकरण एवं निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) (संशोधन) आदेश, 2006" कहा जायेगा।

(2) यह आदेश सम्पूर्ण उत्तरांचल के नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में लागू होंगे।

(3) यह आदेश शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।

2. प्रस्तर 3(क), 5(घ) तथा 9(1) व (2) का प्रतिस्थापन :–

राजनीतिक दलों के पंजीकरण एवं निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 2001 के प्रस्तर 3(क), 5(घ) तथा 9(1) व (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तर स्थापित किये जायेंगे तथा प्रस्तर 9(3) यथावत् रखते हुए, के बाद प्रस्तर 9(4) स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

3(क) जो राजनीतिक दल/संघ/निकाय (एतद् पश्चात् वे इकाइयां दल कहे जायेंगे) अपना पंजीकरण कराना चाहें उन्हें इस आदेश के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल के समक्ष अपना पंजीकरण कराने हेतु आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्र (जो इस आदेश में दिया गया है), मान्यता प्राप्त दलों के लिये प्रपत्र–1 व प्रपत्र–3 में तथा गैर मान्यता प्राप्त दल/संघ/निकाय दलों हेतु प्रपत्र–2 व प्रपत्र–3, में प्रस्तुत करना होगा। भविष्य में होने वाले किसी भी निर्वाचन में दल के रूप में भाग लेने के लिए यह आवश्यक होगा कि पंजीकरण हेतु दल का आवेदन–पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को नागर स्थानीय निकायों के गत सामान्य निर्वाचन के पश्चात् गठित निकायों के कार्यकाल पूर्ण होने के दिनांक से कम से कम 45 दिन पूर्व प्रस्तुत किया गया हो अन्यथा उस आवेदन–पत्र पर प्रश्नगत निर्वाचन के उपरान्त ही विचार किया जाना संभव होगा।

5(घ) पंजीकरण शुल्क रु0 3000/– (तीन हजार रुपये मात्र) होगा, जो डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल, देहरादून को देय होगा।

9(1) मान्यता प्राप्त दल :

(क) ऐसे दल जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है अथवा ऐसे दल जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तरांचल राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी गई है, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल में नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए पंजीकरण के उपरान्त मान्यता हेतु अर्ह होंगे।

(ख) ऐसे दल जिन्होंने उत्तरांचल राज्य के नागर निकायों अथवा लोक सभा/विधान सभा के लिए सम्पन्न हुए विगत सामान्य निर्वाचन (प्रत्यक्ष मतदान) में पड़े वैध मतों की कुल संख्या के कम से कम छः प्रतिशत मत प्राप्त किये हों, राज्य निर्वाचन आयोग में नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए पंजीकरण के उपरान्त मान्यता हेतु अर्ह होंगे।

9(2) अमान्यता प्राप्त दल :

ऐसे दल जिन्होंने उत्तरांचल राज्य के नागर निकायों अथवा लोक सभा/विधान सभा के विगत सामान्य निर्वाचन (प्रत्यक्ष मतदान) में विधिमान्य कुल मतों के कम से कम दो प्रतिशत मत प्राप्त किये हों, राज्य निर्वाचन आयोग में नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए पंजीकरण के उपरान्त अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के लिए अर्ह होंगे।

9(4) प्रस्तर 3(क), 5(घ) तथा 9(1) व 9(2) में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि कोई दल इस आदेश के प्रारम्भ होने से पहले या बाद में इस आदेश के प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यमान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी शर्तों को संतुष्ट करते हुए मान्यता प्राप्त था तो नागर निकायों के उत्तरांचल राज्य में होने वाले आगामी सामान्य निर्वाचन में होने वाले प्रयोजन हेतु उक्त दल का उत्तरांचल में मान्यता प्राप्त दल का स्तर बना रहेगा और वह उसका लाभ प्राप्त करता रहेगा, यह उस दल की मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त के लिए आधार बने निर्वाचन (निर्वाचनों) पर निर्भर करेगा और उसके बाद मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त दल के रूप में जारी इसकी मान्यता इसके द्वारा प्रस्तर 9(1क), 9(1ख) तथा 9(2) जो भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी।

परन्तु यदि वह दल ऐसी मान्यता के लिए इस आदेश के प्रारम्भ होने से पहले और बाद भी विद्यमान शर्तों को संतुष्ट करने में असफल रहता है तो मान्यता प्राप्त दल या अमान्यता प्राप्त दल के रूप में इसकी मान्यता को प्रत्याहरित करने के राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारों पर कोई रोक नहीं होगी।

आर0 के0 वर्मा,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

प्रपत्र–1

राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र

(केवल मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल हेतु)

सेवा में,

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तरांचल, देहरादून।

महोदय,

निवेदन करना है कि ______________________ (राजनीतिक दल का नाम) का उत्तरांचल राज्य में नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु "राजनीतिक दलों के पंजीकरण

एवं निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 2001 एवं यथासंशोधित आदेश, 2006" के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल द्वारा वांछित सूचनाएं निम्न प्रकार हैं :–

(क) राजनीतिक दल का नाम एवं भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकरण संख्या ____________

(ख) दल के मुख्य कार्यालय का पता ____________

(ग) राज्य में दल के कार्यालय का पता ____________

(घ) पत्र व्यवहार का पता ____________

(च) दल के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों का नाम व पता ____________

2. निम्नलिखित विवरण/सूचनाएं संलग्न की जा रही हैं :–

(क) रु0 3000/– (तीन हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल के नाम से देहरादून में देय है।

(ख) राजनीतिक दल का संविधान, नियम, उप नियम, उपबन्ध राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय तीन सदस्यों द्वारा प्रमाणित प्रति। यह दल भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है तथा दल भारत का संविधान में स्थापित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोकतंत्र के सिद्धान्तों में पूर्ण आस्था रखता है और भारत की सम्प्रभुता, एकता व अखण्डता को अक्षुण रखने के लिए प्रतिबद्ध होकर सदैव कार्यरत रहेगा।

(ग) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण एवं आवंटित निर्वाचन प्रतीक की प्रमाणित छायाप्रति।

(घ) प्रपत्र–3 में घोषणा–पत्र।

भवदीय,

स्थान :

दिनांक : अध्यक्ष/सचिव

पार्टी का नाम ____________

प्रपत्र–2

राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र

(गैर मान्यता प्राप्त दल/संघ/निकाय हेतु)

सेवा में,

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तरांचल, देहरादून।

महोदय,

निवेदन करना है कि ____________ (राजनीतिक दल का नाम) का उत्तरांचल राज्य में नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु "राजनीतिक दलों के पंजीकरण एवं निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 2001 एवं यथासंशोधित आदेश, 2006" के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल द्वारा वांछित सूचनाएं निम्न प्रकार हैं :–

(क) दल/संघ/निकाय का नाम व पंजीकरण संख्या (यदि कोई हो) ____________

(ख) मुख्य कार्यालय का पता ____________

(ग) राज्य में कार्यालय का पता ____________

(घ) पत्र व्यवहार का पता ____________

(च) दल/संघ/निकाय के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों का नाम व पता

(छ) दल/संघ/निकाय के सदस्यों का नाम, श्रेणी, पता एवं निर्वाचक नामावली में नाम व क्रमांक

(ज) यदि इसकी कोई स्थानीय इकाई हो तो उसका नाम व पता

(झ) राज्य के विधान मण्डल अथवा संसद में इसका प्रतिनिधित्व हो तो ऐसे सदस्य/सदस्यों की संख्या नाम सहित

(ञ) नागर निकायों के विगत सामान्य निर्वाचनों, विधान सभा अथवा लोक सभा के विगत आम चुनावों में दल द्वारा प्राप्त मतों के कुल वैध मतों का प्रतिशत मत प्रमाण सहित

(ट) दल/संघ/निकाय का सिद्धान्त जिस पर वह आधारित है

(ठ) दल/संघ/निकाय का लक्ष्य, उद्देश्य तथा नीतियां, जिनका पालन उनके द्वारा किया जाता है

(ड) दल/संघ/निकाय के क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम जो अपने राजनीति सिद्धान्तों, नीतियों, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चलाए जा रहे हैं या चलाये जाने हैं

2. निम्नलिखित विवरण/सूचनाएं संलग्न की जा रही हैं :-

(क) रु0 3000/- (तीन हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल के नाम से देहरादून में देय है।

(ख) राजनीतिक दल का संविधान, नियम, उप नियम, उपबन्ध सत्यापित एवं प्रमाणित प्रति। यह दल भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखता है तथा दल भारत का संविधान में स्थापित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोकतंत्र के सिद्धान्तों में पूर्ण आस्था रखता है और भारत की सम्प्रभुता, एकता व अखण्डता को अक्षुण रखने के लिए प्रतिबद्ध होकर सदैव कार्यरत रहेगा।

(ग) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण एवं आवंटित निर्वाचन प्रतीक की प्रमाणित छायाप्रति।

(घ) प्रपत्र-3 में घोषणा-पत्र।

स्थान : भवदीय,

दिनांक :

अध्यक्ष/सचिव

पार्टी का नाम

प्रपत्र-3

घोषणा-पत्र

सेवा में,

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तरांचल, देहरादून।

महोदय,

मैं, ______ (आवेदक का नाम) ______ (राजनीतिक दल/संघ/निकाय का नाम) द्वारा अधिकृत यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल का "राजनीतिक दलों के पंजीकरण एवं निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 2001 एवं यथासंशोधित आदेश, 2006" के विवरण को पढ़ एवं समझ लिया